रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225858 CG-DL-E-12032021-225858

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1115] No. 1115] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

# (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

# आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

का.आ. 1203(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श के बाद यह मत है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक अथवा उचित है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ -** (1) इस आदेश को फ्लक्स कोर्ड (ट्यूबलर) इलेक्ट्रोड्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 कहा जाएगा।
  - (2) यह 1 सितंबर 2021 से लागू होगा।
- 2. मानक का अनुपालन और मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-॥ की स्कीम-। के अनुसार ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

1603 GI/2021 (1)

## तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
कार्बन अथवा कार्बन-मैग्नीस स्टील की गैस शील्डिड और सेल्फ-शील्डिड मेटल वेल्डिंग के लिए फ्लक्स कोर्ड (ट्यूबलर) इलेक्ट्रोड्स।	2008	कार्बन अथवा कार्बन-मैग्नीस स्टील की गैस शील्डिड और सेल्फ-शील्डिड मेटल वेल्डिंग के लिए फ्लक्स कोर्ड (ट्यूबलर) इलेक्ट्रोड्स।

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसुचना की तारीख से लागृ होंगे।

> [फा.सं.पी-29014/4/2018-एलईआई] अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

### **ORDER**

New Delhi, the 12th March, 2021

- **S.O. 1203(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- **1. Short title, commencement.** –(1) This Order may be called the Flux Cored (Tubular) Electrodes (Quality Control) Order, 2021.
  - (2) It shall come into force with effect from 1st September 2021.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

**3. Certification and Enforcement Authority. -** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (1) of the said Table.

#### **TABLE**

Goods or articles.	Indian Standard.	Title of Indian Standard.
(1)	(2)	(3)
Flux Cored (Tubular) Electrodes for Gas Shielded and Self-Shielded Metal Welding of Carbon or Carbon- Manganese Steel.		Flux Cored (Tubular) Electrodes for Gas Shielded and Self-Shielded Metal Welding of Carbon or Carbon-Manganese Steel.

Note: For the purposes of this table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-29014/4/2018-LEI] ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.